दिनांक 11.07.2019 को माननीय मंत्री, उद्योग की अध्यक्षता में बिहार राज्य स्थित खादी संस्थाओं के साथ हुई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम माननीय मंत्री, उद्योग द्वारा बैठक में उपस्थित खादी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा गया कि खादी से संबंधित उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों में अगर कोई कठिनाई आ रही है या अन्य कोई बात रखना चाहते हैं तो अपनी बातों को रख सकते हैं।

खादी संस्थाओं द्वारा बैठक में निम्न बिन्दु रखे गये :–

1. **कम्बल बुनकर संस्थान, रोहतास** :– संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि संस्थान द्वारा मूलतः कम्बल बनाने का कार्य किया जाता है। इस संस्थान को नये डिजाईन की आवश्यकता है, जिससे वह बाजार में माँग के अनुरूप उत्पादन कर सके।

   खादी बोर्ड के PMA को निदेश दिया गया कि संस्थान का भ्रमण कर डिजाईन में आवश्यतानुसार सहयोग करें।

2. **लक्ष्मीनगर ग्रामोदय सहयोग समिति, मधुबनी** :– संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा तानी मशीन की आवश्यकता को बताया गया। तानी मशीन भी उपलब्ध कराने पर विचार किया जाय।
3. **आदित्यडीह खादी ग्रामोद्योग बुनकर विकास संघ, मधुबनी** :– संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा नये एवं बाजार में मांग के अनुरूप डिजाईन की आवश्यकता को बताया गया। खादी बोर्ड के PMA GT India द्वारा इस संबंध में में बताया गया कि खादी संस्थाओं को नये डिजाईन का कार्य सौंपा गया है। इस संस्थान को भी नया डिजाईन शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

   खादी बोर्ड के PMA को इस पर कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया।

4. **कलावती खादी ग्रामोद्योग संस्थान, मधुबनी** :– संस्थान द्वारा बताया गया कि यह एक नया संस्थान है, जिसका निबंधन खादी और ग्रामोद्योग आयोग, पटना में लंबित है। इस संस्थान के कतिनों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस संस्थान को कार्यशील पूँजी की आवश्यकता है। संस्थान के प्रतिनिधि के द्वारा सुझाव दिया गया कि करघा की कीमत को रु0 30,000/– से बढ़ाकर रु0 45,000/– कर दिया जाय।
5. **डूमरा खादी ग्रामोद्योग संघ, मधुबनी** :– संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा यह सुझाव दिया गया कि जो कार्यशील पूँजी संस्थान को ऋण के रूप में दी गई है, उसका केवल ब्याज ही खादी बोर्ड ले, ताकि मूलधन का उपयोग खादी संस्थान दुबारा उत्पादन बढ़ाने हेतु कर सके।
6. **रेशम बुनकर खादी ग्रामोद्योग संघ, भागलपुर** :– संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा यह सुझाव दिया गया कि 10% प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा सीधे कतिनों/बुनकरों को दिया जाय। भागलपुर में एक कोकून बैंक की स्थापना की जाय, ताकि जरूरत के समय संस्थान सीधे कोकून बैंक से कोकून ले सके। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि खादी के विकास का कार्य करने वाली संस्थाओं को "बुनियाद" चरखा उपलब्ध कराया जाय।
7. **इन्टरनेशनल एकेडमी ऑफ इन्भॉरमेन्टल सैनिटेशन एण्ड पब्लिक हेल्थ "श्रीजनी", पटना** :– यह एक संस्थान है, जिसका निबंधन खादी और ग्रामोद्योग आयोग, पटना में लंवित है। संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा सुझाव दिया गया कि करघा की कीमत को रु0 30,000/– से बढ़ाकर रु0 45,000/– कर दिया जाय।
8. **हबीबूल्लाह खादी ग्रामोद्योग संघ, मधुबनी** :– संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि कतिनों एवं बुनकरों को मजदुरी का भुगतान खादी ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा निर्धारित Cost Chart के अनुसार किया जाता है। बुनकरों को उनके समान कार्य करने वाले कर्मियों से कम मजदुरी मिलती है। इसलिए सरकार खादी बोर्ड के माध्यम से उत्पादन लागत का 10% राशि कतिनों एवं बुनकरों को भुगतान किया जाना चाहिए।

9. **बिहार खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ :–** संघ के सचिव द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि खादी पुर्नरूद्धार योजना के अन्तर्गत खादी संस्थाओं को 4% पर ऋण दिया गया है, जिसकी वसुली 84 समान किस्तों में किया जाना है जबकि इस कार्यशील पूँजी को revolve करने का प्रावधान योजना में किया गया है। इसलिए दिये गये ऋण में मूलधन की वसुली नहीं किया जाय, सिर्फ ब्याज की वसुली की जाय।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना द्वारा इस संबंध में बताया गया कि ऋण का भुगतान खादी संस्था एवं खादी बोर्ड के बीच किये गये एकरारनामा के आधार पर किया गया है। किये गये एकरारनामा में ऋण की वसुली 84 समान किस्तों में करने का प्रावधान है जिस पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है। इस पर योजना की मार्गदर्शिका के आलोक में एक बार पुनः समीक्षा करने का आग्रह किया गया, जिस पर विचार करने का निर्णय लिया गया।

10. **ग्राम निर्माण मंडल, गया :–** संस्था के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि खादी संस्थान पुर्नरूद्धार योजना वर्ष 2014–15 से लागू किया गया है लेकिन इस मद में राशि वर्ष 2015–16 में प्राप्त हुई है। इस योजना के तहत उद्योग विभाग द्वारा वर्ष 2015–16 में उत्पादन पर 10% की छूट की घोषणा किया गया तथा संस्थाओं को रिवेट का भुगतान किया गया जबकि पूर्व से बिक्री पर 10% की छूट दी जा रही थी। अतः वर्ष 2015–16 के लिए बिक्री पर छूट दिया जाय एवं उत्पादन तथा बिक्री के छूट पर दी जाने वाली अन्तर राशि का भुगतान संस्थान को किया जाय।

बैठक में उपर्युक्त बिन्दुओं पर विचार–विमर्श के बाद निम्न निर्णय लिये गये :–

(1) करघा की किमत रु0 30,000/– से बढ़ाकर रु0 45,000/– करने से संबंधित कार्रवाई किया जाय एवं इस पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

(2) माननीय मंत्री, उद्योग द्वारा निदेश दिया गया कि खादी बोर्ड के PMA "M/S Grant Thortun India" द्वारा 03(तीन) सप्ताह में सर्वे कर प्रतिवेदन दिया जाय कि खादी संस्थाओं में कितने कतिन एवं बुनकर सम्बद्ध हैं। कतिनों एवं बुनकरों को एक कार्य दिवस में कितनी मजदुरी का भुगतान किया जाता है तथा मजदुरी का भुगतान RTGS या अन्य किसी माध्यम से किया जाता है। सर्वे के बाद कतिनों/बुनकरों को उत्पादन लागत का 10% राशि सीधे हस्तांतरित किये जाने के प्रावधान पर विभाग विचार–विमर्श कर कार्रवाई करे।

(3) बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि खादी पुर्नरूद्धार योजना के अन्तर्गत खादी संस्थाओं को दिये गये ऋण की वसुली की पुनः समीक्षा किया जाय, क्योंकि कार्यशील पूँजी के रूप में दी गई राशि वसुल की जाती है तो यह पूँजी कैसे revolve करेगी। इससे संबंधित संचिका खादी बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया जाय एवं विभाग द्वारा इस पर वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त कर आवश्यक कारवाई की जायेगी।

(4) माननीय मंत्री महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि प्रत्येक 03(तीन) माह में बिहार स्थित खादी संस्थाओं के साथ बैठक आयोजित किया जाय।

(5) सचिव, उद्योग विभाग द्वारा निदेश दिया गया कि बिहार खादी नीति के प्रारूप पर खादी संस्थाओं के साथ विचार–विमर्श हेतु एक शीघ्र बैठक बुलाई जाय।

ह0/–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना।

ज्ञापांक– 50/263 /पटना, दिनांक– 24/07/2019

प्रतिलिपिः– राज्य खादी संस्था/समिति/संस्था संघ, बिहार/खादी बोर्ड के PMA, GI, India /खादी बोर्ड के सभी पदाधिकारी/कर्मचारीगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना।